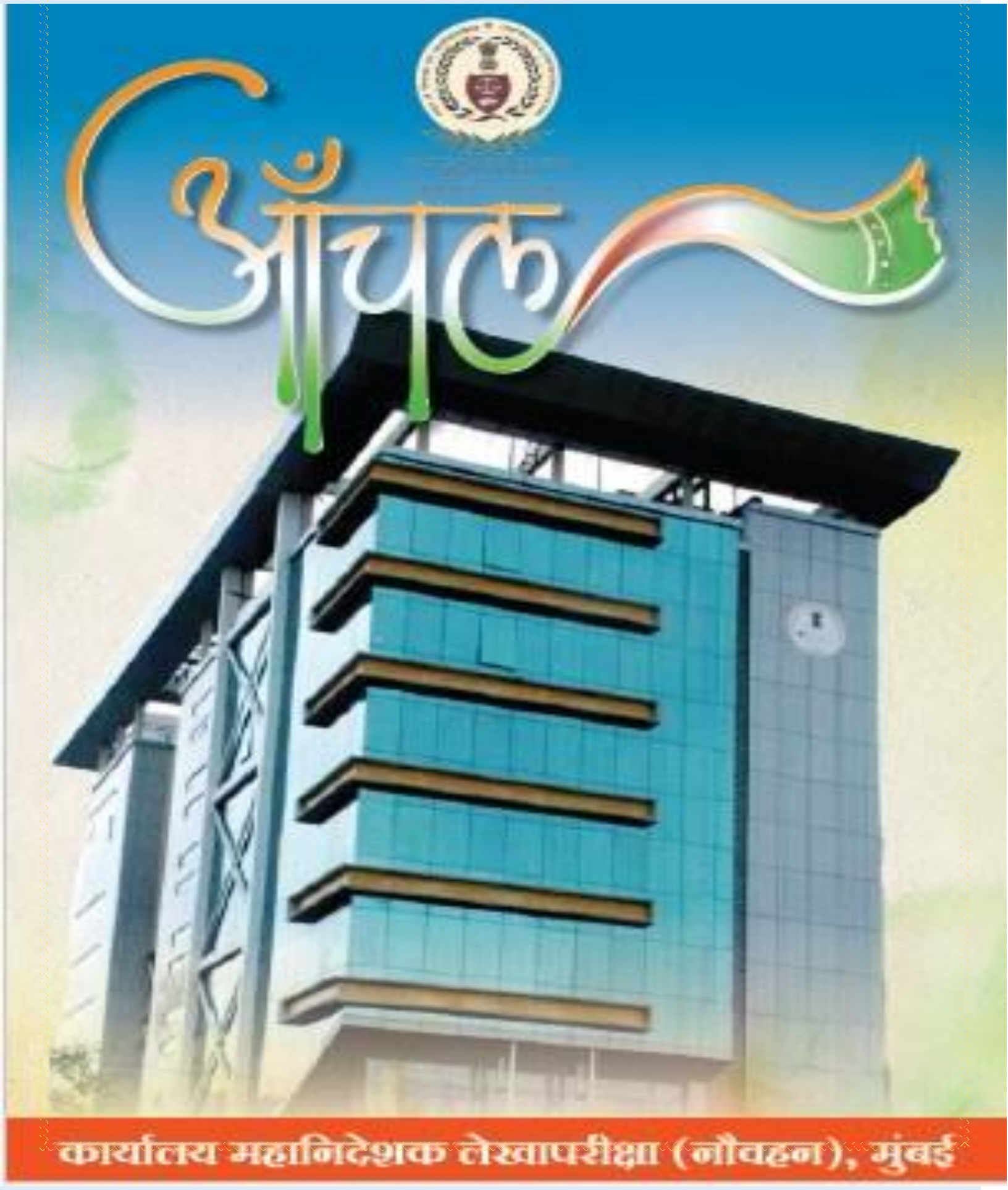
आँचल
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

आँचल

(21वाँ अंक)

(कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय अर्द्ध-वार्षिक हिंदी पत्रिका)

आँचल परिवार

संरक्षक

डॉ. संदीप रॉय
महानिदेशक

दिग्दर्शन

सुश्री अनिता सिंह
निदेशक (प्रतिवेदन)

प्रबंध संपादक

सुश्री मोनाली अशोक फड़तारे
उप-निदेशक (प्रशासन)

संपादकीय परामर्श

श्री पियूष रामटेके, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)
सुश्री शिवानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

संपादक

श्री जय राम सिंह, क. अनुवादक
सुश्री पूजा चौधरी, क. अनुवादक

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) - कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय हिंदी पत्रिका "आँचल" का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार है । इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं और यह आवश्यक नहीं कि कार्यालय उन विचारों से सहमत हो।

संरक्षक की कलम से

विभागीय हिंदी पत्रिकाएँ सरकारी कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति सकारात्मक रुचि उत्पन्न करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं । इसी क्रम में कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई अपनी विभागीय अर्द्ध-वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका "आँचल" का नियमित प्रकाशन कर रहा है जो हर्ष की बात है । इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि कार्यालय के अधिकारी / कर्मचारी उत्साहपूर्वक हिंदी में अपनी रचनाएँ लिखकर पत्रिका की गुणवत्ता और पठनीयता, दोनों की अभिवृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं ।

संविधान की मूल भावना यही है कि धीरे-धीरे भारतीय संघ के सारे कामकाज राजभाषा हिंदी में हों । हिंदी भी भारत की किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषा की तरह ही यहाँ की मिट्टी की उपज है और इस नाते भारतीय संस्कारों से लबरेज है । भारत के हर हिस्से में हिंदी को बोलने या समझनेवाले लोग मिल जाते हैं । इस तरह हिंदी भारत की राष्ट्रीय एकता एवं संवाद की सूत्रधार की भूमिका अदा करती है । संस्कृत को छोड़ दें तो हिंदी संभवतः विश्व की एकमात्र भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है । पिछले 76 वर्षों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में हमने काफी प्रगति की है परंतु बहुत कुछ अभी करना है । मैं कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे अधिक से अधिक मौलिक काम हिंदी में करें और राजभाषा के सम्यक प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दें ।

मैं संपादक-मंडल सहित कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने पत्रिका के इस अंक को मूर्त रूप देने में अपना अमूल्य योगदान दिया है । मेरी कामना है कि यह पत्रिका इसी सहजता एवं सरलता से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपनी भूमिका निभाती रहे एवं निरंतर प्रगति करती रहे ।

डॉ. संदीप रॉय
महानिदेशक

दिग्दर्शन

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय हिंदी पत्रिका "आँचल" का 21वाँ अंक पाठकों के बीच देखकर अच्छा लग रहा है । काम के भारी दवाब के बावजूद कार्यालय के कार्मिकों ने इस पत्रिका के लिए सामग्री लिखने में जो उत्साह दिखाया है, वह प्रशंसनीय है । भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के काम में लेखन एक आवश्यक तत्व है जिसको परिवर्धित करने में यह पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।

हिंदी में मौलिक काम करना अत्यधिक आसान है । ज़रूरत सिर्फ शुरु करने की है । एक बार हिंदी में काम करना शुरु कर दें तो लगातार हिंदी में काम करना आनंद देने लगता है । मुझे आशा ही नहीं, वरन् पूर्ण विश्वास है कि कार्यालय के सभी अधिकारी / कार्मिक अपना-अपना मौलिक काम अधिक से अधिक हिंदी में करेंगे और राष्ट्रीय गौरव को महसूस करेंगे ।

मैं आशा करती हूँ कि यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों में नवीन उत्साह का संचार करेगी । पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई ।

अनिता सिंह
निदेशक (प्रतिवेदन)

संदेश

केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालय हिंदी में मौलिक कार्य का माहौल बनाने के उद्देश्य से हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं । इसी कड़ी में कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय हिंदी पत्रिका "आँचल" अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल सिद्ध हुई है ।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय हिंदी पत्रिका "आँचल" कार्मिकों को विभिन्न विषयों पर अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए एक सार्थक एवं सारस्वत मंच प्रदान करती है । मुझे आशा ही नहीं, वरन पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका निरंतर प्रगति-पथ पर अग्रसर रहते हुए राजभाषा हिंदी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को कुशलतापूर्वक निभाने में समर्थ सिद्ध होगी ।

आशा करती हूँ कि कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी भविष्य में भी इस पत्रिका को उत्कृष्ट और ज्ञानवर्द्धक बनाने के प्रति अपना उत्साह और सहयोग इसी तरह बनाए रखेंगे ।

मोनाली अशोक फड़तारे
उप-निदेशक (प्रशासन)

अनुक्रमणिका

संरक्षक की कलम से		4	
दिग्दर्शन		5	
संदेश		6	
संपादकीय		8	
क्रम संख्या	**रचना का शीर्षक**	**रचनाकार**	**पृष्ठ संख्या**
1	स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि		10
2	जो लौट के घर न आए		14
3	चुनाव-कथा (कविता)	श्रीमती वीणा शिरशाट	18
4	रंग बदलते देखा है (कविता)	सुश्री रितू मोटवानी	19
5	मुंबई की वह बरसात (कविता)	श्री अजीत कुमार	20
6	बूझो तो जाने (पहेलियाँ)	सुश्री शिवानी	21
7	कोंकण का गणोशोत्सव (कविता)	श्रीमती वीणा शिरशाट	22
8	मेरी प्रथम चुनावी ड्यूटी (लेख)	श्री अनिल मेनन	23
9	एक मुलाक़ात ज़रूरी है सनम (लघुकथा)	श्री जय राम सिंह	25
10	चुनावी रोमांच: लोकतंत्र के सर्कस में जीवित रहना (लेख)	श्री रविन्द्र कौशिक	27
11	चुनाव ड्यूटी - एक अनुभव (लेख)	श्रीमती नयना केळसकर	30
12	दीर्घसूत्री विनश्यति (कहानी)	सुश्री रितू मोटवानी	32
13	विनायक चतुर्थी (लेख)	सुश्री शिवानी वर्मा	33
14	अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन (लेख)	श्री जय राम सिंह	35
15	झाँसी : ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल	सुश्री शिवानी	38
16	राजभाषा अधिनियम 1963		41
17	राजभाषा नियम 1976		46
18	आपके पत्रः आपकी प्रतिक्रियाएँ		52
19	चित्र बोलते हैं		53
20	नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति		56

राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम

जय राम सिंह
क. अनुवादक

हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है । इस अवसर पर कई तरह की हिंदी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है । इन समारोहों और आयोजनों का एकमात्र उद्देश्य राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है ताकि राजभाषा हिंदी सच्चे अर्थों में भारत संघ के कामकाज की भाषा बने । आमतौर पर इन आयोजनों में हिंदी भाषा की महत्ता, इसकी पहुँच, इसके सम्मान आदि को लेकर बात होती है ।

तमाम कठिनाइयों के बावजूद हिंदी अपने प्रगति-पथ पर अग्रसर है । इसका प्रमाण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दुनिया के कई देशों में हिंदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ी है । लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ने का प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ है कि हिंदी अब मात्र साहित्य अथवा संवाद की भाषा न रहकर रोज़गार की भी भाषा बन रही है ।

राजभाषा विभाग के नवीनतम प्रयास - भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत राजभाषा विभाग राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक प्रयास कर रहा है । अभी हाल के वर्षों में विभाग ने कुछ दूरगामी कदम उठाए हैं जिनसे राजभाषा हिंदी में कामकाज करना और भी अधिक आसान हो गया है ।

कंठस्थ 2.0 - राजभाषा विभाग ने पुणे स्थित मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी सी-डैक के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और स्मृति-आधारित एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है । यह सॉफ्टवेयर हिंदी से अँग्रेजी और अँग्रेजी से हिंदी में सटीक अनुवाद करने में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है । यह सॉफ्टवेयर अपनी विशेषताओं के कारण बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है ।

हिंदी शब्दसिंधु संस्करण 2 - हिंदी शब्दों का विपुल भंडार समेटे हिंदी शब्दसिंधु भी उपयोक्ताओं के लिए उपलब्ध करा दिया गया है । इस ऑनलाइन शब्दकोश में भारत की सभी आधिकारिक भाषाओं के समतुल्य शब्दों को समुचित तरीके से प्रस्तुत किया गया है । उपयोक्ता इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं ।

ई- सरल वाक्यकोश - यह अपनी तरह का अनूठा कोश है जिसमें शब्द नहीं, बल्कि वाक्य संग्रहीत हैं । कोई भी उपयोक्ता इन वाक्यों की मदद से अपनी हिंदी अभिव्यक्ति को आसान बना सकता है ।

लीला हिंदी प्रवाह - यह ऑनलाइन प्रशिक्षण हिंदीतर भाषियों की मदद के लिए बनाया गया है । इसमें प्रारंभिक स्तर का हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि शिक्षु पर अनावश्यक शास्त्रीय दवाब न पड़े । यह बिल्कुल निःशुल्क है और कोई भी हिंदीतर भारतीय नागरिक इस प्रशिक्षण का लाभ ले सकता है ।

हिंदी टंकण - राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार अब सरकारी कार्यालयों के सभी कम्प्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट यूनिकोड समर्थित खरीदे जा रहे हैं । हिंदी कीबोर्ड बड़ी ही

आसानी से अँग्रेजी कीबोर्ड से अंतःविनिमयित (Interchanged) हो जाता है ताकि हिंदी में टंकण करते समय कोई असुविधा न हो । राजभाषा विभाग ने सरकारी कार्यालयों के सभी लिपिकों, आँ.प्र.प्र., टंककों, अनुवादकों और अन्य के लिए निःशुल्क हिंदी टंकण का प्रशिक्षण न सिर्फ अनिवार्य किया है, बल्कि उत्तीर्णता की स्थिति में समुचित वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की है ।

हिंदी प्रशिक्षण - राजभाषा विभाग सरकारी कार्मिकों के हिंदी ज्ञान को समृद्ध बनाने हेतु कई तरह के निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है जैसे प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत आदि । इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है ।

नई शिक्षा नीति - अकादमिक वर्ष 2023-24 से लागू भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में हिंदी सहित भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्द्धन और संरक्षण हेतु व्यापक कदम उठाते हुए प्रारंभिक शिक्षा को अपनी-अपनी मातृभाषाओं में उपलब्ध कराना शुरु किया है । इस शिक्षा नीति के आशातीत परिणाम भी सामने आने लगे हैं । मध्यप्रदेश में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय ने अपना पूरा पाठ्यक्रम ही हिंदी में तैयार कर लिया है । इसी तरह कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों में भी हिंदी में पठन-पाठन की व्यवस्था की जा रही है ।

लेकिन सरकार के प्रयास अपनी जगह और जन-सहभागिता अपनी जगह । हिंदी सही मायनों में राजभाषा पद पर तब तक सुशोभित नहीं हो सकती जब तक उसमें व्यापक जन-सहभागिता न हो । हर्ष की बात है कि मनोरंजन, इंटरनेट और अन्य माध्यमों की मदद से हिंदी धीरे-धीरे प्रतिष्ठित हो रही है । ज़रूरत है कि हम सभी राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में गौरव का अनुभव करते हुए अपनी-अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएँ ।

स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि

(हमारी गृह पत्रिका “आँचल” का यह नियमित स्तम्भ है । इस अंक में हम देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देनेवाले वीर सपूतों के बलिदानों का स्मरण कर उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं । आज हम सभी आजाद देश के नागरिक हैं क्योंकि बीते हुए कल में इन असंख्य वीर सेनानियों ने हमारे ‘आज’ को सुखमय बनाने के लिए अपने ‘आज’ की आहुति दे दी थी । इस अंक में हम झारखंड के रहनेवाले स्वतंत्रता के वैसे नायकों की गाथाएँ सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी अधिक चर्चा नहीं होती - संपादक)

जतरा उराँव (1888 - 1916)

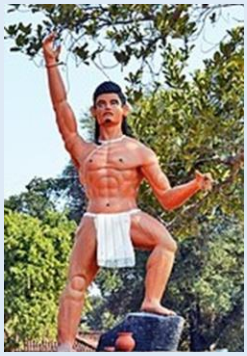

जतरा भगत उर्फ जतरा उरांव का जन्म सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिला के बिशनुपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था । उनके पिता का नाम कोदल उरांव और माँ का नाम लिबरी था । 1912-14 में उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा ‘कुली’ के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया । यह 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए ‘उलगुलान’ से प्रेरित औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था ।

आदिवासी लेखकों का दावा है कि अहिंसक सत्याग्रह की व्यावहारिक समझ गांधी ने झारखंड के टाना भगत आंदोलन से ही ली थी । 1940 के दशक में टाना भगत आंदोलनकारियों का बड़ा हिस्सा गांधी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ । आज भी टाना भगत आदिवासियों की दिनचर्या राष्ट्रीय ध्वज के नमन से होती है।

(आँचल परिवार देशप्रेम, त्याग, साहस और बलिदान की अदम्य मूर्ति अमर स्वतंत्रता-सेनानी श्री जतरा उराँव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है ।)

ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव (12 अगस्त, 1817 - 16 अप्रैल, 1858)

ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव (12 अगस्त, 1817 - 16 अप्रैल, 1858) ये बड़कागढ़ के राजा थे जिन्हें सन् 1857-58 के विद्रोह के समय अँग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए फांसी की सजा दी गयी थी। ।

ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म 12 अगस्त सन् 1817 ई० में बड़कागढ़ की [illegible] में हुआ था। उनके पिता ठाकुर रघुनाथ शाहदेव और माता चानेश्वरी देवी थे। बड़[illegible] पितामह ठाकुर नाथन शाहदेव को नागवंशी महाराजा से प्राप्त हुई थी। बचपन से ही वे अँग्रेजी शासन के खिलाफ थे। अँग्रेजों के खिलाफ धीरे-धीरे वे जनता को संग्रहित करना शुरू करने लगे। 1840 में पिता की मृत्यु के बाद विश्वनाथ शाहदेव ने बड़कागढ़ की गद्दी संभाली। इसके लिए उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना बनाना शुरू किया

तत्कालीन बिहार में अँग्रेजी सत्ता के खिलाफ चिन्गारी सुलग रही थी। बाबू कुँवर सिंह एवं अन्य रजवाड़े ब्रिटिश नीति से बेहद नाराज थे। अँग्रेजों के टैक्स एवं लगान ने जनता को तबाह किया हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने छोटा नागपुर की जनता एवं जमींदारों को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के लिए उलगुलान छेड़ दिया। इस अभियान में पांडेय गणपत राय, जय मंगल सिंह, नादिर अली खान, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, बृजभूषण सिंह, चामा सिंह, शिव सिंह, रामलाल सिंह और विजय राम सिंह इकट्ठा होना शुरू किए, जिनका नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने स्वीकार किया। मंगल पांडेय के मेरठ छावनी में 1857 में कारतूस कांड में विद्रोह हो चुका था।

रामगढ़ में ब्रिटिश छावनी एवं रामगढ़ बटालियन में भी विद्रोह की आग सुलग रही थी। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने यहां शेख भिखारी और उमराव सिंह को भेजा। इनके संदेश के बाद रामगढ़ बटालियन में भी विद्रोह की भीतरी तैयारी शुरू हो गई। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव सैन्य संचालन की योजना बनाने लगे। सतरंजीगढ़ से अपनी राजधानी को हटिया लाने का श्रेय भी विश्वनाथ शाहदेव को ही जाता है।

1855 में ही अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका। अपने राज्य को अँग्रेजी सत्ता से स्वतंत्र घोषित कर दिया। डोरंडा छावनी से अँग्रेजी फौज ने हटिया पर आक्रमण किया। घमासान लड़ाई हुई एवं अँग्रेजी फौज को नुकसान झेलना पड़ा। लड़ाई के दौरान चतरा से लौटते हुए ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव पिठोरिया परगणैत जगतपाल सिंह के घर में आराम करने लगे। जगतपाल ने गद्दारी करते हुए घर की कुंडी चढ़ा दी और अँग्रेजों को खबर कर दी। वे पकड़ लिए गए। 16 अप्रैल, 1858 को वर्तमान रांची जिला स्कूल के सामने कदम्ब वृक्ष में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की आजादी की लड़ाई से हिल गए अँग्रेजी प्रशासन ने उनके 97 गांवों की जागीर जब्त कर ली।

(आँचल परिवार देशप्रेम, नेतृत्व, साहस और बलिदान की अदम्य मूर्ति अमर स्वतंत्रता-सेनानी श्री ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है ।)

सिद्धू कान्हू

सिद्धू मुर्मू (सिदो मुर्मू) और कान्हू मुर्मू सगे भाई थे जिन्होने 1855-1856 के सन्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सन्थाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा दोनों के विरुद्ध था। कीं।

सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म वर्तमान झारखण्ड राज्य के भोगनाडीह नामक गाव म एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 ई. को हुआ था एवं कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ई. को हुआ था।[2] संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके अन्य दो भाई भी थे जिनका नाम चाँद मुर्मू और भैरव मुर्मू था। चाँद का जन्म 1825 ई. को एवं भैरव का जन्म 1835 ई. को हुआ था। इनके अलावा इनकी दो बहनें भी थी जिनका नाम फुलो मुर्मू एवं झानो मुर्मू था। इन 6 भाई-बहनों के पिता का नाम चुन्नी माँझी था।

संथाल विद्रोह (हूल आंदोलन) का नेतृत्व सिद्धू-कान्हु ने किया था । सिद्धू-कान्हु के नेतृत्व में इस लड़ाई में संथाल परगना के स्थानीय आदिवासीयों एवं गैर आदिवासीयों ने जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अँग्रेजी शासन की गलत नीतियों के कारण जंगल तराई जो आज संथाल परगना है, इसके अलग-अलग क्षेत्रों में असंतोष गहराने लगा था। इसलिए अँग्रेजी शासन के विरुद्ध स्थानीय आदिवासीयों एवं गैर आदिवासियों ने 1853 के समय से ही विरोध करना शुरू कर दिया था। बैठक सभा भी संचालित होने लगा था। ज्यों-ज्यों दमन और शोषण बढ़ता स्थानीय लोग में भी अँग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध बढ़ता। समय के साथ पूरे जंगल तराई क्षेत्र में अलग-अलग विद्रोहियों जैसे सिद्धू-कान्हू, चानकु महतो, राजवीर सिंह, शाम परगना, बैजल सौरेन, चालो जोलाह, रामा गोप, विजय, गरभू आदि दर्जनों क्रांतिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को संगठित कर अँग्रेजों की गलत नीतियों का प्रतिकार करना शुरू कर दिया था। इनमें सबसे जोरदार विद्रोह का स्वर सिद्धू-कान्हू के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, यही कारण था कि सिद्धू-कान्हू पूरे जंगल तराई में सबसे सशक्त विद्रोही बनकर उभरे थे। तमाम विद्रोहियों ने सिद्धू-कान्हू से संपर्क साधा और सिद्धू-कान्हू व उनके भाई-बहनों के नेतृत्व में 30 जून 1855 को पंचकठिया, बरहेट जिला साहेबगंज में पूरे जंगल तराई के तमाम विद्रोहियों व उनके समर्थकों की एक सभा बुलाई। सभा में सिद्धू को उनका नेता चुना गया और उनके नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद हजारों लोग ने सिद्धू-कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता, साहुकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ हूल - हूल के नारा के साथ सशस्त्र युद्ध का शुरूवात किया, जिसे संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था- "करो या मरो अँग्रेजों हमारी माटी छोड़ो" । 30 जून 1855 की सभा में 5000 से भी ज्यादा आदिवासी एकत्र हुए जिसमें सिद्धू, कान्हू, चाँद एवं भैरव को उनका नेता चुना गया।

जबकि अंग्रेजो मे इसका नेतृत्व जनरल लॉयर्ड ने किया जो आधुनिक हथियार और गोला बारूद से परिपूर्ण थे। इस मुठभेड़ में महेश लाल एवं प्रताप नारायण नामक दरोगा की हत्या कर दी गई जिससे अंग्रेजो में भय का माहोल बन गया संतालों के भय से अँग्रेजों ने बचने के लिए पाकुड़ में

मार्टिलो टावर का निर्माण कराया गया। अंततः इस मुठभेड़ में संतालों कि हार हुई और सिद्धू-कान्हू को फांसी दे दी गई। ।

(आँचल परिवार देशप्रेम, त्याग, साहस और बलिदान की अदम्य मूर्ति अमर शहीद श्री सिद्धू कान्हू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है ।)

जब अन्त समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं
खुश रहना देश के यारों अब हम तो सफ़र करते हैं ।
जो ख़ून गिरा पर्वत पर वह ख़ून था हिन्दुस्तानी
जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो क़ुर्बानी ।

-कवि प्रदीप

जो लौट के घर न आए

(हमारी विभागीय गृह-पत्रिका आँचल के इस नियमित स्तम्भ में हम देश और देशवासियों की रक्षा में पिछले एक वर्ष में सर्वोच्च बलिदान देनेवाले वीर सपूतों के बलिदानों का स्मरण कर उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं । हमारा देश एक ओर जहाँ चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद जैसी बाहरी चुनौतियों से मुकाबला कर रहा है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से भी लोहा ले रहा है । इस स्तंभ में देश के ऐसे रण-बाँकुरों की रण-गाथाएँ सुनाने का प्रयास किया जाता है जिन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा और ज़रूरत पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटे । अपनी मातृभूमि की आन, बान और शान की रक्षा में ऐसे समर्पित होकर घर से निकले कि कभी लौट नहीं पाए । आशा है कि आप सुधी पाठकों को हमारा यह विनम्र प्रयास अच्छा लगेगा - संपादक)

कैप्टन शुभम गुप्ता (IC-84541K), सेना पदक, 9वीं पारा (विशेष बल)

नवंबर 2023 के दौरान, कैप्टन शुभम गुप्ता की यूनिट 9 पैरा (एसएफ) को भारतीय सेना के XVI कोर के परिचालन नियंत्रण के तहत कार्यरत 'रोमियो' बल के हिस्से के रूप में कश्मीर घाटी के राजौरी सेक्टर में तैनात किया गया था। चूंकि यूनिट की जिम्मेदारी का क्षेत्र (एओआर) उग्रवादियों से प्रभावित क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए यूनिट को नियमित आधार पर उग्रवाद विरोधी अभियान चलाना पड़ता था।

विश्वस्त स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर, यूनिट ने 22 नवंबर 2023 को 63 आरआर और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ एक खोज और घेरा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। तदनुसार, 21/22 नवंबर 2023 की मध्यरात्रि को एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। योजना के अनुसार 63 आरआर, 9 पैरा (एसएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम राजौरी जिले के गुलाबगढ़ जंगल के संदिग्ध कालाकोट इलाके में पहुंची और घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया। सेना की टुकड़ी के हिस्से के रूप में, कैप्टन शुभम गुप्ता 63 आरआर बटालियन के सैनिकों के साथ 9 पैरा (एसएफ) के सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे।

जब तलाशी अभियान चल रहा था, आतंकवादियों ने खतरे को भाँपते हुए भागने की कोशिश में सैनिकों पर गोलीबारी की। इसके बाद दोनों ओर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकवादी अपने नेता सहित एक ढोक (अस्थायी फूस की छत वाला मिट्टी का घर) में छिपे हुए थे और वहां से सैनिकों को निशाना बना रहे थे। कैप्टन शुभम गुप्ता को अपने साथियों और नागरिकों के लिए भी ख़तरा महसूस हुआ और वे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अपने कवर से बाहर आ गए। हालाँकि, ऐसा करते समय, कैप्टन शुभम गुप्ता गोलीबारी की चपेट में आ गए और गोली लगने से घायल हो गए। उन्होंने जल्द ही दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। ऑपरेशन जारी रहा और अंततः सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालाँकि, कैप्टन शुभम गुप्ता के अलावा, 9 पैरा (एसएफ) और 63 आरआर के चार अन्य बहादुर जवानों ने भी ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गँवा दी। अन्य शहीद सैनिकों में कैप्टन एमवी प्रांजल,

हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैराट्रूपर सचिन लौर शामिल थे। कैप्टन शुभम गुप्ता एक बहादुर सैनिक और साहसी अधिकारी थे, जिन्होंने 28 साल की उम्र में देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कैप्टन शुभम गुप्ता को उनकी सराहनीय वीरता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत "**सेना मेडल**" से सम्मानित किया गया है।

आँचल परिवार कैप्टन शुभम गुप्ता (IC-84541K) सेना पदक, की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है ।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (JC-424154Y), सेना पदक, 16 राष्ट्रीय राइफल्स

2023 के दौरान, नायब सूबेदार कुलदीप सिंह की यूनिट 16 आरआर बटालियन को एलओसी के साथ जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में तैनात किया गया था। एलओसी अत्यधिक सक्रिय और अस्थिर थी जिसमें अक्सर और बिना किसी चेतावनी के संघर्ष विराम का उल्लंघन होता था।

यूनिट के सैनिक नियमित रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगे हुए थे क्योंकि यूनिट का जिम्मेदारी क्षेत्र (एओआर) उग्रवाद से प्रभावित था। इसके एओआर की अस्थिरता के कारण सैनिकों को हर समय 'हाई अलर्ट' की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र घुसपैठ के लिए भी संवेदनशील था, जिससे सीमा पार से किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए नियमित सशस्त्र गश्त की आवश्यकता होती थी। 08 जुलाई 2023 को, नायब सूबेदार कुलदीप सिंह को यूनिट के एओआर में आने वाले सुरनकोट क्षेत्र में ऐसे एक 'एरिया डोमिनेशन पेट्रोल' का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। नायब सूबेदार कुलदीप सिंह और उनके साथी 08 जुलाई 2023 को नियोजित मार्ग पर गश्त के लिए निकले। यह मार्ग कठिन इलाकों से होकर गुजरा, जो गहरी घाटियों और दरारों से घिरा हुआ था। मार्ग पर उपलब्ध पटरियों पर चलते समय सैनिकों को अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती थी।

पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में बारिश हो रही थी जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी । इस क्षेत्र में बाढ़ और बाढ़ का खतरा अधिक था। भारी बारिश के कारण झेलम और उसकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ गया था और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी. लेकिन इससे नायब सूबेदार कुलदीप सिंह पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व करना जारी रखा। हालाँकि जब वे पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में डोगरा नाला पार कर रहे थे, तो सैनिक अचानक आई बाढ़ में फंस गए। नायब सूबेदार कुलदीप सिंह और एक अन्य सैनिक लांस नायक तेलू राम को कोई भी कार्रवाई करने का पर्याप्त समय नहीं मिला और वे पोशाना नदी की उफनती धारा में बह गए। तेज धारा में बह गए सैनिकों का पता लगाने के लिए सेना, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के तत्वों को शामिल करते हुए एक बचाव अभियान शुरू किया गया था। हालांकि, नायब सूबेदार कुलदीप सिंह और लांस नायक तेलू राम को बचाया नहीं जा सका और शहीद हो गए। नायब सूबेदार कुलदीप सिंह का शव 08 जुलाई की रात को

बरामद किया गया था और लांस नायक तेलू राम का शव 09 जुलाई 2023 को बरामद किया गया था। नायब सूबेदार कुलदीप सिंह एक समर्पित और बहादुर जूनियर कमीशंड अधिकारी थे, जिन्होंने लाइन में अपना जीवन लगा दिया। अपने कर्तव्य का. नायब सूबेदार कुलदीप सिंह को उनकी सराहनीय वीरता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 2024 को "सेना पदक" (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया था।

आँचल परिवार नायब सूबेदार कुलदीप सिंह, सेना पदक, की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है ।

हवलदार नीलम सिंह छिब (13825843H), सेना पदक, 9वीं पैरा (विशेष बल) बटालियन

मई 2023 के दौरान, हवलदार नीलम सिंह चिब की यूनिट 9 पैरा (एसएफ) बटालियन को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में तैनात किया गया था। यूनिट के सैनिक नियमित रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगे हुए थे क्योंकि यूनिट का जिम्मेदारी क्षेत्र (एओआर) उग्रवाद से सक्रिय था।

इसके एओआर की अस्थिरता के कारण सैनिकों को हर समय 'हाई अलर्ट' की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र घुसपैठ के लिए भी संवेदनशील था, जिससे सीमा पार से किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए नियमित सशस्त्र गश्त की आवश्यकता होती थी। राजौरी जिले के कंडी जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट इनपुट के बाद, 03 मई 2023 को एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। आतंकवादी उस समूह के थे जो 20 अप्रैल 2023 को पुंछ जिले में एक सेना के ट्रक पर घात लगाकर किए गए हमले में शामिल थे। हवलदार नीलम सिंह उस टीम का हिस्सा थीं जिसे यह काम सौंपा गया था।

तलाशी अभियान कई घंटों तक जारी रहा और 05 मई 2023 को लगभग 0730 बजे, खोज दल ने एक गुफा में अच्छी तरह से जमे हुए आतंकवादियों के एक समूह से संपर्क स्थापित किया। गुफा के आसपास का क्षेत्र चट्टानी और खड़ी चट्टानों के साथ घनी वनस्पति वाला था। आतंकवादियों को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद भीषण गोलीबारी शुरू हो गई, संयुक्त बल ने ड्रोन और खोजी कुत्तों को तैनात किया और गुफा के ठिकाने पर भारी मोर्टार फायर और ग्रेनेड से हमला किया। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे और उन्होंने सुरक्षित स्थान का फायदा उठाकर जवाबी कार्रवाई में विस्फोटक उपकरण से हमला कर दिया। परिणामी विस्फोट का विनाशकारी प्रभाव पड़ा और कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी सहित घायल सैनिकों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए उधमपुर के कमांड अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हालाँकि, हवलदार नीलम सिंह और चार अन्य सैनिकों ने जल्द ही दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। हवलदार नीलम सिंह के अलावा, अन्य शहीद बहादुरों में नायक अरविंद कुमार, लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री और पैराट्रूपर प्रमोद नेगी शामिल थे। हवलदार नीलम सिंह छिब एक बहादुर और साहसी सैनिक थे, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन

लगा दिया। हवलदार नीलम सिंह छिब को उनकी सराहनीय वीरता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत "**सेना पदक**" से सम्मानित किया गया। ।

आँचल परिवार हवलदार नीलम सिंह छिब (13825843H), सेना पदक, की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है ।

स्रोत - https://www.gallantryawards.gov.in/assets/uploads/home_banner/RepublicDayCeremony,-2024RecipientsofGallantryAwards-.25-01-2024pdf

चुनाव-कथा

श्रीमती वीणा शिरशाट
पर्यवेक्षक

अप्रैलवाह ,गर्मियों की वाह ,मई का माह-
इसी में लोकसभा चुनावों का डंका बजा
सरकारी अमला चुनाव करने के लिए सजा

प्रशासन अपनी प्रतिभा निखार रहा था
अपनी श्रेष्ठता बताने की ठान रहा था
इसी जद्दोजहद में
कभी इस कार्यालय तो कभी उस कार्यालय को लपेटा जा रहा था
चुनाव के लिए आवश्यक अंक समेटा जा रहा था

डर था हमारा कार्यालय भी लपेटे में न आ जाए
चुनावीचक्र में झमेटे में न आ जाए-
रातदिन मन ही मन मनुहार जारी था-
जिला प्रशासन कुछ और ही कर रहा तैयारी था

जिसका डर था वह हो गया
क्या से क्या था अब हो गया
हमारा कार्यालय भी चुनावों में शामिल हो गया
एकएक कर सबके ऑर्डर आने लगे-
चुनावों के शोर सबके दिमाग पर छाने लगे

छुट्टियाँ कैंसिलघूमना स्थगित
चुनावी ऑर्डर से सभी थे व्यथित
ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाने लगा
खुद को कोसता हर कर्मचारी जाने लगा
पर यह क्या ? अभी तो एक और ट्रेनिंग बाकी थी
रास्तों पर फुलझडियाँ नहींपाँकी ही पाँकी थी ,

चुनाव का दिन भी आ ही गया
एक दिन पहले ही बुलावा आ ही गया
महिलाएँ तो शाम को घर जा सकती थी
पर पुरुष कर्मचारियों को रुकने का
हुक्म आ ही गया

अगली सुबहचुनाव का दिन ,
तड़के मॉक पोलकागजी कार्रवाई ,
सात बजे असली मतदान की घड़ी आई
लम्बीलम्बी कतारें-
वोट की बहती बयारें
खानेचाय की फुर्सत नहीं ,पीने की कौन कहे-
ईवीएम छोड़कर जाने की जुर्रत नहीं

शाम हुईमतदान पूरा हुआ ,
समेटो ईवीएमचलो जमा करने ,
लेकिन दर्जन भर फॉर्म भी हैं भरने
लेदेकर ईवीएम जमा हो गए-
और हम आजाद हो गए

देर रात हो गई थी
व्यवस्था में कमियाँ उजागर थी
लेकिन घर पहुँचने की सबको जल्दी थी
जैसे तैसे सभी घर पहुँचे
चैन की साँस ली
मानो हमारे प्रजातंत्र ने सफलता की आस ली
अगले दिन चुनावी कहानी गूँजती रही
हरएक की जुबानी अपनी कहानी कहती रही ।-

"प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती ।" - नेताजी सुभाषचंद्र बोस

रंग बदलते देखा है

रितु मोटवानी
वअ.प.ले.

रंग बदलते देखा है

मैंने कभी सुना था कि
गिरगिट रंग बदलता है
पर चांद सितारों को
सागर के लहरों को भी
मैंने देखा कई बार
अपना रंग बदलते हुए ।

मौका निकल जाने पर
कब कौन किसी का होता है
सम्बंन्धों के मकड़जाल में
रंग कहां टिक पाते हैं
काम निकल जानें पर
मैंने देखा कई बार
अपनों को रंग बदलते हुए ।

चेहरे के रंगों को भी
कई बार बदलते देखा है
खिलते हुए सुर्ख चेहरे का
उड़ता रंग भी देखा है
शीत, घाम, उष्ण और वर्षा में
हवाएँ रंग बदलती हैं
मैंने देखा कई बार
चेहरों को रंग बदलते हुए ।

जहां सम्बन्ध बना हो
लेन देन के आधारों पर
यह मेरा और यह तेरा है
इन भावों से भरा हो जब
लोगों के हृदयों का आगार
फिर सम्बन्धों के भी
रंग कहां टिक पाते हैं
मैंने देखा है कई बार
सम्बन्धों को रंग बदलते हुए ।

भाव हो जब निज हित केवल
फ़ैला हो स्वार्थ हवाओं में
जब गिद्ध दृष्टि हो मानव का
हर जगह लाभ बस दिखता हो
जब शोषण ही हो एक लक्ष्य
मैंने देखा है कई बार
दृष्टि को रंग बदलते हुए ।

माना कुछ स्थायी नहीं है जग में
परिवर्तन तो निश्चित ही है
पर सदा बदलती इस दुनिया में
यदि निर्मल हृदय कर लो अपना
विश्वास रखो अपने उपर फिर
बदलते हुए रंगों का भी
ईश्वर भी तब
अपना रंग दिखाता है
मैंने देखा है कई बार
ईश्वर को रंग बदलते हुए ।

हिंदी का पौधा दक्षिणवालों ने त्याग से सींचा है - शंकरराव कप्पीकेरी

अजीत कुमार
आँ.प्र.प्र.

मुंबई की वह बरसात

26 जुलाई तारीख थी सन 2005 की ये है बात।
समूचे मुंबई शहर में हो रही थी घनघोर बरसात।।

बारिश ने उस दिन एक ऐसा इतिहास बनाया था।
न जाने कितने घरों को अपने पानी में डुबाया था।।

जैसेजैसे दिन बीता बच्चों को भी मस्ती छाई।-
सागर ने उस दिन बड़े ज्वार की महिमा दिखलाई।

पूरे मुंबई शहर में धरती ना कहीं नजर आती थी।
सागर की लहरें बस बादलों को छूना चाहती थीं।।

रेल रुकी, जहाज रुके, गाड़ी भी ना कोई चल पाई।
लगता था कि जीवन की अंतिम घड़ी है अब आई।।

26 जुलाई तारीख थी सन 2005 की ये है बात।
समूचे मुंबई शहर में हो रही थी घनघोर बरसात।।

लोग फंस गए यहांवहां घर न कोई जा पाया था।-
बेबस हो पुलों के ऊपर, अपना डेरा जमाया था।।

कितने लोगों को उस दिन दो रोटी ना मिल पाई थी।
कितनी बहनों ने अज़नबी घरों में रात बिताई थी ।।

मानवता का उस दिन ऐसा रूप सामने आया था।
अज़नबी ने अज़नबी को दिल से गले लगाया था।।

मुंबई शहर से अपराध की ख़बर ना कोई आई थी।
मानव ने उस दिन ऐसी आदर्श मानवता दर्शायी थी।।

26 जुलाई तारीख थी सन 2005 की ये है बात।
समूचे मुंबई शहर में हो रही थी घनघोर बरसात।।

हिंदी भाषा की उन्नति के बिना हमारी उन्नति असम्भव है - गिरिधर शर्मा

बूझो तो जाने

(उत्तर पत्रिका के इसी अंक में किसी जगह हैं, यदि आपको नहीं पता, तो खोजें !)

सुश्री शिवानी
स.ले.प.अ.

1. पानी से पैदा होता है, पानी में मर जाता है, भोजन से तो मेरा गहरा नाता है, मैं कौन हूँ?

2. मेरे पास गला है, सर नहीं, बाजू है पर हाथ नहीं, बताइए मैं कौन हूँ ।

3. वह कौन है जो मन में है, दिल में है पर धड़कन में नहीं है ।

4. वह कौन सी चीज है जिसके फटने पर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती ।

5. वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है पर हिलती नहीं है ।

6. एक परी है पतली दुबली, काला मुकुट पहनती है
मुकुट गँवाकर करे उजाला, खुद अंधकार में रहती है ।

7. हरी ज़मीन पर लाल मकान, तौबा-तौबा करे इंसान ।

8. बिना पंखों के उड़ती हूँ, बिना हाथ के लड़ती हूँ ।

9. काली हूँ पर कौआ नहीं, लम्बी हूँ जैसे हो नाग
बल खाती हूँ लटके-लटके, सबकी नजर मुझ पर ही अटके

10. तेरह पान का ऐसा पानदान, खा कोई न पाए बस रहे हैरान ।

"हिंदी भाषा नहीं, यह आत्मा है भारतीयता की।" – रामधारी सिंह दिनकर

कोंकण का गणेशोत्सव

श्रीमती वीणा शिरशाट
पर्यवेक्षक

त्योहारों से परिपूर्ण महीना सावन का
मेला लग जाता है
कोंकणवासियों के गाँव में आवागमन का

रेल, बस के आरक्षण में कोंकणवासी व्यस्त
गाँव कैसे पहुँचें विवंचना से त्रस्त
लेकिन गाँव जाने की खुशी में ही सारे बच्चे मस्त

रास्ते की कठिनाइयों को झुँझलाते हुए
बच्चों की बदमाशियों को पुचकारते हुए
गणेश जी की पूजा के बारे में सोचते हुए
परिजनों तथा गणेश जी के डेकोरेशन संग चल दिए

गणेश जी के आगमन पर निसर्ग भी फूले नहीं समाता
हरियाली की चादर ओढ़कर अपना आनंद जताता
मन में एक ही भाव
भक्त और भगवान का भाव ... परम भाव
अमीर-ग़रीब का कोई प्रमाण नहीं
भगवान के द्वार पर दोनों सही

जिनके घर हैं बंद
उनके सामने और एक प्रश्न
उन्हें भी तो कुछ करना है
पड़ोसियों को कुछ कहना है
गणपति जी की पूजा करवानी है

गणेश जी के दरबार में सेवा काल समाप्त
मन उदास, घर बंद, लौटना है काम को
गाँव छोड़, कार्यालयीन धाम को
लेकिन चलना है तो चलना है
जीवन पथ पर बढ़ना है
हे प्रभु, अंत में यही प्रार्थना
मुस्कुराती रहे कामना

दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो
हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो

गोपाल सिंह नेपाली

मेरी प्रथम चुनावी ड्यूटी

अनिल मेनन
व.ले.प.अ.

वर्तमान कार्यालय में मैं मई 1993 से हूँ । पिछले 31 वर्षों से मैंने चुनाव से संबंधित कोई भी ड्यूटी नहीं की थी । चुनावी ड्यूटी जैसी कोई बात कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी । लेकिन इतना तो जानता ही था कि अप्रैल - मई में लोकसभा चुनाव होनेवाले हैं ।

फरवरी महीने के किसी शनिवार की वह एक सुबह थी । मुझे एक फोन आया कि मुझे आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में नामित किया गया है । फोन करनेवाला व्यक्ति ने यह भी कहा कि मुझे आपको चुनाव आयोग का आदेश सौंपना है। मैं आश्चर्यचकित रह गया । कोई भी सरकारी कार्यालय सरकार द्वारा बनाए नियमों के आधार पर चलता है । कोई भी व्यक्ति कहीं से फोन करके मुझे कोई नया आदेश कैसे दे सकता था ? मैंने उस व्यक्ति को सोमवार को मेरे कार्यालय में आने और चुनाव आयोग के आदेश को प्रॉपर चैनल में देने के लिए कहा ।

सोमवार की दोपहर को मेरे कार्यालय में दो व्यक्ति आए । दोनों के हाथ में चुनावी आदेश थे । इन आदेशों में मेरे कार्यालय के मेरे अधिकांश सहयोगियों के नाम थे । मेरा आश्चर्य कई गुणा बढ़ गया । शनिवार को तो सिर्फ मेरे लिए आदेश था और सोमवार आते-आते वह पूरे कार्यालय को वायरस की तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका था । मैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों से अवगत था ।

मुझे मालूम था कि चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों का सुपर बॉस चुनाव आयोग हो जाता है । पहली बार चुनावी ड्यूटी लगने के कारण मैं उत्साहित भी था । मैं निर्धारित तिथि और समय पर प्रशिक्षण केंद्र (प्रथम प्रशिक्षण)पहुँच गया । मैं शुरुआत में बहुत कम लोगों को देखकर हैरान था । लेकिन जैसे-जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ा, भीड़ बढ़ने लगी । इसलिए मेरी पहली धारणा यह बनी कि चुनावी ड्यूटी इतना गंभीर भी नहीं है जितना मैंने सोचा था । भीड़ में बहुत से ऐसे सरकारी कार्मिक थे जो नियमित रूप से चुनावी ड्यूटी करते आ रहे थे । वे समय पालन और अन्य संबंधित मामलों से अच्छी तरह परिचित थे ।

प्रथम प्रशिक्षण में टीम के सदस्यों के नाम, दूसरे प्रशिक्षण की तारीख और स्थान के बारे में सूचित करने वाला एक और आदेश प्राप्त हुआ । मुझे रिजर्व में रखा गया था । नोडल अधिकारी से पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि मुझे पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों के कर्तव्यों से परिचित होना होगा क्योंकि मुझे समय की आवश्यकता के अनुसार कोई भी कार्य आवंटित किया जा सकता था । यह भी बताया गया कि मैं अगर भाग्यशाली रहा तो मैं बिना किसी ड्यूटी के भी बच सकता हूँ । इस बात ने उत्साह और चिंता दोनों को बढ़ा दिया । कुछ ही दिनों में वह बड़ा दिन भी आ ही गया । बड़ा दिन अर्थात् मतदान की तारीख का पिछला दिन । मैं संग्रह केन्द्र पहुँचा । मैंने पाया कि रिजर्व के रूप में रखे गए 94 व्यक्तियों के अलावा 30 टीमें थीं । यह मेरे लिए विस्मयकारी था । मतदान के लिए 270 मतदान केंद्र बनाए गए थे । इस प्रकार मैं उन कर्मचारियों की जिम्मेदारियों की कल्पना कर सकता था जिन्हें टीमों के साथसाथ प्रक्रिया के सुचारू संचालन का प्रबंधन करना - है। मैं देख सकता था कि जोनल अधिकारी रिजर्व सेक्शन में अधिकारियों को संभालने के लिए कितने व्याकुल थे।

जैसा कि वांछित था, मैंने सुबह 6.30 बजे संग्रह केंद्र में रिपोर्ट किया और हम सभी रिजर्व रखे गए लोगों को अगले आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया । हमेशा की तरह कोई भी प्रतीक्षा अवधि जैसे परीक्षा परिणाम करनाकी प्रतीक्षा, ट्रेन बर्थ/सीट का कन्फर्म हो जाना, प्रस्तावों पर सामनेवाले की प्रतिक्रिया आदि हमेशा तनावपूर्ण होती है। जब भी किसी आवश्यकता की खबर आती थी, तो पिक एंड चूज पद्धति अपनाई जाती थी और रिजर्व रखे गए अधिकारियों को टीमों में शामिल होने के लिए कहा जाता था । उस समय एक विचार आया कि रिजर्व के रूप में बैठने और तनाव बढ़ाने के बजाय स्वयंसेवक बनकर स्वयं ही कोई काम ले लिया जाए । कम से कम तनाव तो नहीं रहेगा ! फिर मन में यह भी आया कि जो होगा अच्छे के लिए होगा और इसलिए चुप रहने का फैसला किया । चूँकि हम एक टेंट में थे जो बहुत गर्म हो रहा था, मैंने यह कहते हुए जाने की अनुमति माँगी कि मेरा निवास निकट ही है इसलिए मैं 1 घंटे के भीतर पहुँच जाऊँगा । लेकिन कोई भी कॉल लेने को तैयार नहीं था। अंत में लगभग 8.30 बजे, हम में से कुछ को सूचित किया गया कि आप जा सकते हैं । अन्य को आधी रात के बाद भी इंतजार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए कहा गया । मैं उन भाग्यशाली लोगों में से था जिन्हें जाने की अनुमति दी गई थी ।

ख़ैर, मतदान संपन्न हो गया और मैं रिज़र्व का रिज़र्व ही रह गया । मतदान की तैयारी के सत्रों में मुझे अधिकारियों की जिम्मेदारी का ज्ञान हो चुका था । लेकिन सारी बातें एक तरफ और रिज़र्व रहने का तनाव दूसरी तरफ ! ऐसा प्रतीत होता कि अगली बलि मेरी ही होगी । इससे तो अच्छा होता कि मुझे भी किसी मुख्य टीम में रख दिया जाता । प्रतीक्षा के दौरान अपनी हृदयकह पाउँगा । गति के बारे में मैं कुछ नहीं-

चूँकि मुझे अब मतदान कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में पता चला गया है, इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूँगा कि वे इन लोगों और उनके प्रयासों का सम्मान करें । चुनाव आयोग को भी चाहिए कि उन्हें पानी, समय पर भोजन और नाश्ता प्रदान किया जाए । चुनावी ड्यूटी में लगे कार्मिकों द्वारा वॉशरूम के उपयोग की भी अनुमति दी जाए अथवा कोई समय तय कर दिया जाए । मैं चुनाव आयोग से भी अनुरोध करूंगा कि वह दोपहर के भोजन के लिए कुछ ब्रेक रखने पर विचार करे ।

“हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है।” - विलियम केरी

एक मुलाक़ात ज़रूरी है सनम

जय राम सिंह
क. अनुवादक

किसी सरकारी कार्यालय में एक कर्मचारी श्री चंद्रप्रकाश जी थे जो जो हमेशा अपने कार्यालय में सक्रिय रहते थे । उनकी सक्रियता कार्यालय के काफी काम आती थी। कार्यालय का कोई भी समारोह हो, वे हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते थे । उनकी सामाजिक उपादेयता के कारण सभी उनका सम्मान करते थे । लेकिन कुछ ऐसे भी सहकर्मी थे जिन्हें उनका मान-सम्मान अखरता था । जब मौका मिलता, वे उनकी टाँग-खिंचाई में लग जाते । उनकी अनुपस्थिति में तरह-तरह की कहानियाँ गढ़ी जातीं ताकि उनका मान-सम्मान घट जाए । समय बीतने के साथ उस कर्मचारी को भी अपने कुछ सहकर्मियों की चालों का पता चल गया था । पर, उन पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे अपने काम में पूर्व की भाँति ही लगे रहे ।

लेकिन कहते हैं न कि हर अच्छी चीज का समय निश्चित होता है । उस समय के बाद वह अच्छी चीज तिरोहित हो जाती है । कुछ दिनों के बाद चंद्रप्रकाश जी अचानक अनमने-से रहने लगे । उनकी सक्रियता में कमी आने लगी । समय के साथ अब वे लगभग निष्क्रिय-जैसे रहने लगे । लोगों से मिलना-जुलना, बातें करना आदि सब बंद होने लगे । धीरे-धीरे कार्यालयरूपी संगठन से वे दूर होते गए ।

कोई भी कार्यालय एक सामूहिक संगठन होता है जो संगठन-शक्ति से चलता है । चंद्रप्रकाश जी की उदासीनता का असर कार्यालय के सार्वजनिक समारोहों पर दिखाई देने लगा । एक-एक कर सभी कार्यालयकर्मी उनकी उदासीनता को महसूस करने लगे । यह बात किसी दिन कार्यालय के अधिकारी तक भी पहुँच गई ।

जाड़े का मौसम था । प्रचंड ठंढ़ पड़ रही थी । एक बहुत ही ठंडी की रात में कार्यालय के अधिकारी ने उससे मिलने का फैसला किया । वे चंद्रप्रकाश जी के घर गए । चंद्रप्रकाश जी घर पर अकेले ही बैठे थे, घर में कोई नहीं था । चंद्रप्रकाश जी एक सिगड़ी / बोरसी (अलाव) में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहे थे । उन्होंने अधिकारी महोदय का स्वागत किया, पर इस स्वागत में गर्मजोशी नहीं थी, एक तरह की उदासीन खामोशी थी ।

दोनों चुपचाप बैठे रहे । केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे । कुछ देर के बाद अधिकारी महोदय ने बिना कुछ बोले, उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी (जल रही थी) उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत होकर बैठ गए । चंद्रप्रकाश जी ने चाय बनाई । दोनों ने चाय पी। अधिकारी जो भी पूछते उसका उत्तर "हाँ","ना" या इशारों में मिल जाता । जिस प्रश्न पर कुछ बोलना चाहिए था उस प्रश्न पर भी संकेतों से ही काम चला लेते या कम से कम शब्द बोलते ।

मेजबान के रूप में चंद्रप्रकाश जी हर चीज़ पर ध्यान दे रहे थे । लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहे थे कि आज उनके घर उसके अधिकारी पधारे थे । उन्होंने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है । कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई । उसमें कोई ताप नहीं

बचा । उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई । कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्ज्वल प्रकाश था और आग की तपन थी वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ न था ।
इस बीच .. दोनों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले । जाने से पहले अधिकारी महोदय ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया । वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी ।

चंद्रप्रकाश जी अधिकारी महोदय को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुँचे ... "आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप आज मेरे घर पधारे । आज आपने बिना कुछ बताए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, समाज का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है; समाज से अलग होते ही वह लकड़ी की भाँति बुझ जाता है । यदि समाज नहीं तो मनुष्य भी नहीं । तभी तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है ।"

अधिकारी महोदय ने चंद्रप्रकाश जी का हाथ पकड़ लिया, गले मिले और प्रस्थान कर गए । आज एक छोटी-सी मुलाकात ने पुराने चंद्रप्रकाश जी को पुनर्जीवित कर दिया था । एक मुलाक़ात में पुनर्जीवित करने की शक्ति होती है - एक मुलाक़ात ज़रूरी है सनम ।

"भाषा वही जीवित रहती है, जो अपने समाज को जीवंत बनाए रखे।" - महादेवी वर्मा

चुनावी रोमांच: लोकतंत्र के सर्कस में जीवित रहना

रविन्द्र कौशिक
स.ले.प.अ.

2024 का आम चुनाव - लोकतंत्र का एक उत्सव जहाँ अफड़ा-तफड़ी का बोलबाला है और हर दुस्साहस बताए जाने लायक कहानी है । जहाए हर दिन गलतियों की कॉमेडी है और हर रात मच्छरों और खर्राटे लेने वाले सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई है । चुनाव ड्यूटी के परीक्षण और क्लेश के बीच अक्सर हास्य ही एकमात्र सांत्वना होता है । आइए, मैं आपको भारत में 2024 के आम चुनाव के दौरान अपने अनुभवों से रू-ब-रू कराता हूँ । अफड़ा-तफड़ी और उल्लास का बवंडर जिसने मुझे कलम उठाने को मजबूर कर दिया । जब मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की चुनाव ड्यूटी पर विचार करता हूँ, तो मैं हँसने के अलावा कुछ नहीं कर पाता । तो, एक सीट लें और भारतीय चुनावों की जंगली और अजीब दुनिया के माध्यम से यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाएँ ।

प्रशिक्षण दोगुना करें, मज़ा दोगुना करें

यह साहसिक कार्य एक नहीं, बल्कि दो दौर के प्रशिक्षण सत्रों से शुरू हुआ और हमें चुनावी प्रक्रिया की जटिलताओं पर दो बार अभ्यास कराया गया । ठीक ही है कि यदि आप इसे दो बार कर सकते हैं तो चुनाव प्रक्रियाओं की पेचीदगियों को एक बार में ही क्यों सीखें ? दो गहन प्रशिक्षण सत्रों ने पहले ही हमारे उत्साह को खत्म कर दिया था । लेकिन हमें नहीं पता था कि असली रोमांच अभी शुरू होना बाकी था ।

"महान" इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) संग्रह और मतदान केंद्र की यात्रा या कहें "यातना"

फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इकट्ठा करने का उल्लेखनीय दिन आया । एक ऐसा कार्य जो तब तक सरल लगता था जब तक कि हमें एक बस में ठूँस कर नहीं डाला गया । खूब पसीना बहाया गया और उन जीवन विकल्पों पर विचार कराया गया जिन्होंने हमें इस क्षण तक पहुँचाया । आप सभी पाठक भी इस यात्रा या यातना में हमारे सहभागी बनें ।

ईवीएम लेने के लिए हमें मतदान दिवस से पूर्व निर्वाचन आयोग के एक केंद्र पर सुबह 8:00 बजे पहुँचने का आदेश दिया गया । वहाँ पहुँचते ही अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी के नेतृत्व में 4-5 लोगों के समूह में विभाजित कर मतदान केंद्र का पता दे दिया गया । हमारे दल ने भी आव देखा न ताव और ईवीएम व अन्य चुनावी सामग्री इकट्ठा करने के मिशन पर जुट गए । आने वाले चुनावी युद्ध में यही हमारे अस्त्र और शस्त्र थे । अंततः प्रभात में शुरू हुआ ये साहसिक कार्य **सर्कस में एक जोकर** की याद दिलाते हुए एक तंग बस की सवारी में समाप्त हुआ । पसीने से लथपथ अधिकारी अपने मतदान केंद्र की स्थिति को लेकर चिंतित दिख रहे थे । ईवीएम की सुरक्षा के लिए सभी को रात में केंद्र पर रुकने का निर्देश दिया गया था । हलकान अधिकारियों के मन की व्यथा को चंद पंक्तियों में अगर व्यक्त करें तो कुछ इस प्रकार होगा कि

मतदान केंद्र की ओर हमारी यात्रा मात्र से ही अनिश्चितताओं के कोहरे छटने लगे,
पसीने में लथपथ अधिकारी सुखद मौसम की कामना लिए इन्द्रदेव का नाम रटने लगे।

मच्छरों का ज़हर और खर्राटों का कहर

दोपहर की चिलचिलाती धूप के बीच निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर पहुँचते ही हमारा स्वागत लाल कालीन से नहीं, बल्कि प्रचंड गर्मी और मच्छरों की एक सेना के साथ किया गया, जो हमारे चुनाव अधिकारियों की तुलना में अधिक संगठित लग रहे थे। जैसे-जैसे हमने अनुदेशात्मक स्टिकर चिपकाने और मतदान केंद्र की व्यवस्था करने के अपने कार्यों को शुरू किया, घंटे बढ़ते गए और एक अच्छी रात की नींद का विचार एक दूर का सपना बन गया । जैसे ही रात हुई और थकावट शुरू हुई, एक नयी चुनौती सामने आ खड़ी हुयी : **खर्राटों वाली स्वरसंगति ।** रात में जंजीरों के शोर की तरह खर्राटों की आवाज मतदान केंद्र में गूँजती रही थी मानो लोकतंत्र के सार को ख़त्म करने की धमकी दे रही हो । जब आपके पास एक ऐसा सहकर्मी हो जो ऑर्केस्ट्रा की तरह खर्राटे लेता हो तो अलार्म घड़ी की आवश्यकता किसे है ? यह जंगल में सोने जैसा है । ऐसा मान लीजिए कि इस जंगल में कोई शेर दहाड़ नहीं रहा है, बल्कि आपका सहकर्मी लकड़ियाँ काट रहा है ।

मॉक पोल (कृत्रिम मतदान), सैद्धांतिक साजिशकर्ता और हारे हुए कुछ लोगों के लिए एक गर्म विषय:

मतदान दिवस की सुबह के साथ बहुप्रतीक्षित मॉक पोल आया - ईवीएम की अखंडता का परीक्षण करने का मौका जिसकी जिज्ञासा हम पर इतनी हावी हो गई की रात की नींद एक दूर की याद बनकर रह गई । सुबह 3:30 बजे उठकर स्नान करके ईवीएम की अखंडता की जाँच के लिए हम ऐसे तैयार हो गए जैसे कोई विवाह समारोह हो और दूल्हा रूपी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का इंतज़ार करने लगे । अंततः दो बड़े राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि आए और हमने ईवीएम का परीक्षण कर लोकतंत्र के चक्रव्यूह का पहला पड़ाव पार कर लिया।

कतार प्रश्न:

जैसे ही मतदान अपने निर्धारित समय सुबह 7:00 बजे शुरू हुआ, वैसे-वैसे मतदाताओं की अंतहीन धारा भी बढ़ती गई, एक तरफ तो हर कोई अपनी-अपनी आशाओं, सपनों और भूख की पीड़ा के साथ कतार में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और दूसरी तरफ कतार का कम ना होना हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली सा बन गया था । हमने जब स्थिर मतदान के लिए प्रार्थना की, तो पाया की विडंबना के देवताओं की अन्य योजनाएँ थीं, हमारे बूथ को मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या का आकर आशीर्वाद देना कि सबसे अनुभवी मतदान अधिकारी के भी पसीने छूट जाएँ । अंत में पाया कि मेरे मतदान केंद्र पर एक मतदाता को सत्यापन की पूरी प्रक्रिया से गुजरने और अपना वोट डालने में औसतन केवल 49 सेकंड का समय लगा, जो मेरी पूरी टीम द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों के प्रति दिखाई गई कड़ी मेहनत और समर्पण को दिखाने के लिए पर्याप्त है । खैर, इस राजनीतिक चक्रव्यूह का सबसे कठिन पड़ाव भी हमने पार कर लिया ।

सौदा पक्का करना:

मतदान हो जाने और धूल फाँकने के बाद, ईवीएम के भाग्य पर मुहर लगाने और हमारे मिशन को समाप्त करने का समय आ गया । लेकिन जैसे ही हमें लगा कि हमारी परेशानियां पीछे छूट गई हैं, एक प्रमुख राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हमारे केंद्र पर आकर ईवीएम की सीलिंग प्रक्रिया को अपनी निगरानी में कराने की माँग करने लगा

। परन्तु उनका इरादा अराजकता पैदा करना था, मानो उन्हें इस निर्वाचन क्षेत्र पर अपनी हार का पूर्वानुमान हो गया हो और मतदान परिणाम के दिन में ईवीएम के खिलाफ चिल्लाने के लिए कुछ आधार तैयार कर लिया जाए । यह बेहद बेतुकेपन का क्षण था, कॉमेडी और अराजकता का एक आदर्श मिश्रण जो केवल भारतीय चुनावों की दुनिया में ही हो सकता है ।

ईवीएम जमा करने का दुस्साहस:

मतदान के दिन सूरज डूबा और हमने अपने अस्थायी मुख्यालय को पैक करने का कठिन काम शुरू किया । थके हुए हम उस बस की ओर बढ़े जो हमें चुनाव आयोग के केंद्र तक वापस ले जाती । सभी अधिकारी पसीने से लथपथ बैठे थे फिर भी कोई शिकायत नहीं कर रहा था क्योंकि वे पहले ही दिन की सबसे खराब स्थिति का सामना कर चुके थे जो इस से भी अधिक भयावह थी ।

जैसे ही हम केंद्र पर पहुँचे, हमने खुद को कागजी कार्रवाई और नौकरशाही की कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए पाया । भीड़ भरा केंद्र देखा जो कुप्रबंधन का एक उत्तम उदाहरण था । वहाँ एकत्र हुए सभी अधिकारियों को बहुत भीड़-भाड़ वाले, गर्म और आर्द्र वातावरण में ईवीएम को जमा करने का कठिन कार्य करना पड़ा । यह बहुत खतरनाक स्थिति थी और दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती थी । हुआ भी कुछ ऐसा ही । मशीन जमा करने की प्रक्रिया में हमने मुंबई में चुनाव ड्यूटी करते समय एक मतदान अधिकारी की मृत्यु के बारे में सुना । इस दुखद समाचार ने न केवल हमें अंदर से तोड़ दिया, बल्कि हमारे मन में कुछ अनसुलझे सवाल भी छोड़े कि क्या जिन्होंने काम के प्रति पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गँवा दी, उन्हें एक शहीद की तरह दर्जा और सम्मान दिया जाएगा । इन्हीं कुछ अनसुलझे प्रश्नों के साथ हमने अपने चुनावी कर्तव्यों को पूरा किया ।

कड़वा-मीठा इनाम:

सारी अराजकता और पागलपन के बाद, हमारा इनाम क्या है ? एक मामूली रक़म जो कैब से घर जाने का खर्च भी पूरा नहीं कर पाती है । आह, सार्वजनिक सेवा का ऐसा आनंद !

जब मैं आख़िरकार सुबह के शुरुआती घंटों में अपने घर के दरवाज़े से टकराया, तो मैं इन सारी बेतुकी बातों पर आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका । अराजकता और असमंजस के बीच एक अजीब सी सुंदरता देखने को मिली । चुनावी कर्तव्य की आग में बना एक सौहार्द, जो मतों की गिनती के बाद भी लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा । लोकतंत्र के सर्कस में कभी-कभी सबसे बड़ा तमाशा पर्दे के पीछे होता है । भारतीय चुनावों की उथल-पुथल भरी दुनिया में, हर दुस्साहस बताने लायक एक कहानी है और हर बाधा हास्य और सौहार्द का एक और अवसर है।

यह लेख चुनाव ड्यूटी के गुमनाम नायकों, लोकतंत्र में नींद से वंचित सैनिकों के बारे में है । इन अनुभवों को हम एक व्यंजनापूर्ण मुस्कान के साथ एक कहानी के रूप में देख सकते हैं ।

अंत में, चुनावी यात्रा की दो पंक्तियाँ

चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व हैं, जिस पर हम सबको गर्व है
नेताओ के लिए ये मात्र एक खेल है, पर अधिकारियों के लिए तो दो दिन की जेल है ।

हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है - कमलापति त्रिपाठी

चुनाव ड्यूटी - एक अनुभव

श्रीमती नयना केळसकर
सह. पर्यवेक्षक

विगत मई महीने में, महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 के लिए 5वें चरण का आम चुनाव भारत के चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के अनुसार आयोजित किया गया था । ऐसे चुनावों की प्रक्रिया के लिए, सभी प्रशासनिक तंत्रों को पाँच से छह महीने तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है । इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारी, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, चुनाव निर्णायक अधिकारी, पुलिस कर्मी, तलाठी, ग्राम सेवक, आशा और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं । मतदान की वास्तविक प्रक्रिया में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर शिक्षण और गैरसरकारी संस्थानों की- सक्रिय भागीदारी होती है। यह काम चुनाव परिणाम पूरी तरह घोषित होने तक भी जारी रहता है । इसमें कुछ चरणों में प्रशिक्षण भी शामिल है । लेकिन 'चुनाव ड्यूटी' पर तैनात अन्य कर्मचारियों की कहानी अजीब है !

चुनाव ड्यूटी अक्सर स्कूल के शिक्षकों तथा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है । पर इस साल चुनाव के परीक्षाओं के समय होने से स्कूल के शिक्षक की जगह यह ड्यूटी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए ले रहे हैं, ऐसा सुना था । तभी से हम ये प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे कार्यालय में कोई भी चुनाव आयोग कार्यालय से न आये । पर हम जिस से पीछा छुड़ाने का प्रयास करते है वह चीज पीछे-पीछे आ ही जाती है । होना क्या था, एक दिन चुनाव आयोग कार्यालय ने हमारे कार्यालय के सभी कर्मचारियों की जानकारी पूछी । सभी कर्मचारी सकते (टेंशन) में आ गए कि जाने किस-किसकी लॉटरी लगने वाली है । चुनाव आयोग कार्यालय से एक-एक करके सभी के अपॉइंटमेंट पत्र आने लगे, कभी-कभी तो 4-5 लोग आ जाते थे । शुरुआत में नए कर्मचारियों के नाम आ रहे थे । हम सोच रहे थे की 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग चुनाव ड्यूटी से बच जायेंगे । पर चुनाव आयोग के दृष्टि में सभी एक ही समान थे । लेवल 2 से लेवल 11 तक और 22 साल से लेकर 59 साल तक के सभी लोगों की चुनाव ड्यूटी आ गई । इसके अंतर्गत दो दिन ट्रेनिंग थी । कार्यालय के काम के साथ हम लोग ट्रेनिंग में सिखाई हुई बातों को एक दूसरे के साथ क्लियर कर रहे थे, क्योंकि यह ड्यूटी हम सब के लिए पहली बार थी । जैसे-जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा था, हमारा टेंशन बढ़ता जा रहा था । हमें 19 और 20, दो दिन सुबह 7 बजे से लेकर दूसरे दिन एक - दो बजे तक ड्यूटी करनी थी । 19 तारीख को चुनाव ड्यूटी पर जाते वक्त रास्ते में जितने भी मंदिर दिख रहे थे, सबको प्रणाम करते हुए जा रहे थे कि चुनाव ड्यूटी घर के पास आये और इन दो दिनों में कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न हो ।

कई देशों में युवावस्था में देश के लिए सैनिकों की ड्यूटी निभानी पड़ती है । हमारे देश में ऐसा नहीं है, यह सोचकर हमने खुद को ही समझाया कि यह लोकशाही की लड़ाई है और देश के प्रति यह अपना कर्त्तव्य है कि हमें मिली हुई चुनाव ड्यूटी का ठीक से पालन करें । हालाँकि 48 घंटे काम करने की हमारी उम्र नहीं थी । 58 की उम्र में डायबेटिस, ट्रिग्लिसरिदे और घुटनों में दर्द जैसी बीमारियाँ मेरी

सहयोगी बनी हुई थी । पर इन सबके बावजूद मैं 19 तारीख को चुनाव ड्यूटी पर सुबह 7 बजे हाजिर हो गई । वहाँ से हमें दोपहर 12.30 बजे बेस्ट की बस में ड्यूटी से जुड़े सामान के साथ ड्यूटी पॉइंट पर छोड़ा गया । दूसरे दिन 20 मई को जब पूरे दिन की चुनाव ड्यूटी खत्म करके बस से वापस आई तो हमारा स्वागत गुलाब की पँखुड़ियों से किया गया तथा काम पूरा करने की संगीतमयी बधाई दी गई । इस स्वागत से मन में जो गुस्सा था तथा शारीरिक थकान थी, वह थोड़ी कम हो गई । पर, इतना तो कहना ही है कि यह अनुभव यदि एक ही बार मिले तब ही अच्छा है।

मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ । पर मेरे ही देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सहन नहीं कर सकता - आचार्य विनोबा भावे

रितू मोटवानी
व.ले.प.अ.

दीर्घसूत्री विनश्यति

किसी गाँव में एक व्यक्ति रहता था । वह बहुत ही भला था लेकिन उसमें एक दुर्गुण था । वह हर काम को टाला करता था । वह मानता था कि जो कुछ होता है वह भाग्य से होता है ।

एक दिन एक साधु उसके पास आया । उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की । उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने पारस पत्थर देते हुए कहा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हू -ँ, इसलिए मैं तुम्हें यह पारस पत्थर दे रहा हूँ । सात दिन बाद मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊँगा । इस बीच तुम जितना चाहो, उतना सोना बना लेना ।

उस व्यक्ति को लोहा नहीं मिल रहा था । अपने घर में लोहे की तलाश की, लेकिन नहीं मिला था । बाज़ार में उसे थोड़ा-सा लोहा मिला तो उसने उसी का सोना बनाकर बेच दिया और कुछ सामान ले आया ।

अगले दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया, तो उस समय लोहा महँगा मिल रहा था । यह देख कर वह व्यक्ति घर लौट आया ।

तीन दिन बाद वह फिर बाजार गया तो उसे पता चला कि इस बार और भी महँगा हो गया है । इसलिए वह लोहा बिना खरीदे ही वापस लौट गया ।

उसने सोचा - एक दिन तो जरुर लोहा सस्ता होगा । जब सस्ता हो जाएगा तभी खरीदेंगे । यह सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं ।

आठवें दिन साधु पारस लेने के लिए उसके पास आ गए । व्यक्ति ने कहा मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल - गया । अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया । आप कृपया इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए । लेकिन साधु राजी नहीं हुए ।

साधु ने कहा - तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता । तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्याक्या कर चुका होता- । जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता, वह हमेशा दुखी रहता है: । इतना कहते हुए साधु महाराज पत्थर लेकर चले गए ।

राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध है - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

विनायक चतुर्थी

शिवानी वर्मा
आशुलिपिक

भारत त्योहारों और उत्सवों का देश है । पूरे वर्ष भर यहाँ त्योहारों और उत्सवों की धूम रहती है। गणेश चतुर्थी उन्हीं उत्सवों में से एक है । गणेशोत्सव दस दिनों तक बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है । इस त्योहार को गणेशोत्सव या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है । पूरे भारत में भगवान गणेश के जन्मदिन के इस उत्सव को उनके भक्त बड़े ही उत्साह से मनाते हैं ।

भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है । हिन्दू धर्म में किसी भी नए काम को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है । माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने के बाद प्रारंभ होनेवाला कार्य हर हाल में सफल होता है । भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है । गणेश शब्द का अर्थ है जो समस्त जीव-जाति के ईश अर्थात् स्वामी हों । गणेश जी को विनायक भी कहते हैं जिसका अर्थ है विशिष्ट नायक ।

गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सहित पूरे भारत में काफी जोश के साथ मनाया जाता है । पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था । कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं । इन प्रतिमाओं का नौ दिनों तक पूजन किया जाता है । बड़ी संख्या में लोग गणेश प्रतिमाओं का दर्शन करने पहुँचते हैं । नौ दिनों के बाद गणेश प्रतिमाओं को समुद्र, नदी, तालाब आदि जलराशियों में विसर्जित किया जाता है ।

गणेश जी के गज वाले सिर की कथा

इस त्योहार के साथ कई कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं जिनमें से उनकी माता पार्वती और भगवान शिव के साथ जुड़ी कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है । शिवपुराण में रुद्रसंहिता के चतुर्थ खण्ड में वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया था । भगवान शिव ने जब भवन में प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया । इस पर भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर विच्छेद कर दिया। इससे पार्वती कुपित हो गईं । भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया । भगवान शिवजी के निर्देश पर विष्णुजी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव (हाथी) का सिर काटकर ले आए । मृत्युंजय रूद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया । माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया ।

आज़ादी के आन्दोलन में गणेश उत्सव की भूमिका

20 अक्तूबर 1894 से 30 अक्तूबर 1894 तक पहली बार दस दिनों तक पुणे के शनिवारवाड़ा में गणपति उत्सव मनाया गया । लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव की स्थापना की । 1895 में पुणे के शनिवारवाड़ा में ग्यारह गणपति स्थापित किए गए । उसके अगले साल इकत्तीस और उसके अगले साल यह संख्या एक सौ को पार कर गई । फिर धीरे-धीरे महाराष्ट्र के अन्य शहरों/गाँवों तक यह गणपति उत्सव फैलता गया ।

1904 में लोकमान्य तिलक ने लोगों से कहा - "गणपति उत्सव का मुख्य उत्सव स्वराज्य हासिल करना है, आज़ादी हासिल करनी है और अँग्रेजों को भारत से भगाना है । आज़ादी के बिना गणपति उत्सव का कोई महत्व नहीं रहेगा ।" तब पहली बार लोगों ने लोकमान्य तिलक के इस उद्देश्य को बहुत गंभीरता से समझा । आज़ादी के आन्दोलन में लोकमान्य तिलक द्वारा गणेश उत्सव को लोकोत्सव बनाने के पीछे सामाजिक क्रांति का ही उद्देश्य था । लोकमान्य तिलक ने ब्राह्मणों और ग़ैर-ब्राह्मणों के बीच की दूरी समाप्त करने के लिए यह पर्व प्रारंभ किया था जो आगे चलकर एकता की मिसाल बन गया । धीरे-धीरे यह उत्सव सनातन धर्म की विभिन्न जातियों/वर्गों से फैलते-फैलते अन्य धर्मों में भी फैल गया । आज महाराष्ट्र में लगभग सभी धर्मों के लोग श्रद्धा और उत्साह से गणेशोत्सव मनाते हैं । सार्वजनिक पंडालों के अतिरिक्त श्रद्धालु लोग अब अपने-अपने घरों में भी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर पूजन करते हैं । जिस उद्देश्य को लेकर लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव को प्रारंभ करवाया था वह उद्देश्य आज कितने सार्थक हो रहे हैं, यह समझा जा सकता है । आज के समय में पूरे देश में पहले से कहीं अधिक धूमधाम से गणेशोत्सव मनाए जाते हैं । मग़र आज गणेशोत्सव में दिखावा अधिक नज़र आता है । आपसी सद्भाव व भाईचारे का अभाव दिखने लगा है । गणेशोत्सव के विभिन्न पंडाल एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते दिखते हैं । इस उत्सव की प्रेरणाएँ कोसों दूर होती जा रही हैं और इसे मनानेवालों में एकता की कमी होती जा रही है ।

आइए, हम सभी मिलकर भारत के इस अनूठे उत्सव गणेशोत्सव के सही मर्म को समझें और सही अर्थों में मनाएँ ताकि समाज में एकता और भाईचारा बढ़ सके । सही मायनों में तभी हमारी गणेश-पूजा सार्थक हो सकेगी ।

राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है - बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

जय राम सिंह
क. अनुवादक

पिछले दिनों 14 व 15 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम् के भव्य सभागार में चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया था । इस सम्मेलन में भारत सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों से राजभाषाकर्मी और अन्य गण्यमान्य अधिकारीगण भाग ले रहे थे । इस दो-दिवसीय कार्यक्रम में राजभाषा हिंदी के महत्व, संवैधानिक स्थिति एवं कर्तव्य तथा अद्यतन वैश्विक स्थिति पर अच्छे-अच्छे व्याख्यान हुए ।

यह राजभाषा सम्मेलन कई मायनों में अद्वितीय रहा । पहला यह कि पहली बार देश की राजधानी में राजभाषा से संबंधित कोई अखिल भारतीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा था । दूसरा कारण था कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत राजभाषा विभाग के अंदर एक स्वतंत्र अनुभाग 'भारतीय भाषा अनुभाग' की विधिवत शुरुआत की गई । तीसरी विशेषता यह थी कि ऐसे कार्यक्रमों में पहली बार जनकवि डॉ. कुमार विश्वास और हिंदी के ख्यातनाम कवि डॉ. हरिओम पंवार जैसे रससिद्ध कवियों ने सहभागिता की । केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा सहित कई महत्वपूर्ण संगठनों की हिंदी से संबद्ध पुस्तकों का लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में किया गया ।

इस अखिल भारतीय कार्यक्रम का शुभारंभ केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया । सम्मेलन के दोनों दिन केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय जी की सक्रियता ने कार्यक्रम की सफलता में अभूतपूर्व योगदान किया । केन्द्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) पर आधारित आनेवाले समय में भारतीय भाषाओं की उपयोगिता और महत्व, दोनों बहुत बढ़नेवाले हैं ।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत सरकार ने पिछले दस वर्षों में राजभाषा हिन्दी सहित अन्य सभी सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं । हिन्दी को विश्व में समुचित स्थान दिलाने के लिए सरकार कई नए कदमों पर विचार कर रही है जिन्हें प्रकट करना अभी संभव नहीं होगा ।

प्रख्यात कवि डॉ. हरिओम पंवार ने बल देते हुए कहा कि हिंदी राजभाषा तो है पर अभी तक भारत की न्यायभाषा नहीं बन सकी है । जब भारत के प्रधानमंत्री गुलामी के सभी चिह्नों को दूर फेंकने की बात कहते हैं तब यह जानकर दुख होता है कि भारत के सभी ऊपरी न्यायालय (उच्च न्यायलय और सर्वोच्च न्यायलय) तक भारत के ऊपरी न्यायालयों में हिन्दी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यवाही शुरु नहीं होती, तब तक भारत गुलामी की मानसिकता से दूर नहीं हो सकेगा । यही बात दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीत रागी जी ने भी अपने संबोधन में दुहराई ।

यह सत्य है कि 1947 से लेकर अब तक हिंदी ने काफी प्रगति की है । बॉलीवुड और भारतीय संगीत जगत की सफलता के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारे देश की मनोरंजन की भाषा बन चुकी है । लेकिन बहुत कुछ हासिल करना अभी शेष भी है । शेष कामों में शासन की भाषा, न्याय की भाषा, रोज़गार की भाषा, विज्ञान और अनुसंधान की भाषा, प्रबंधन की भाषा, व्यापार की भाषा, लेखापरीक्षा की भाषा जैसी उपलब्धियाँ हासिल करना शामिल है ।

हमें ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी का वातावरण अभी तक नहीं बन सका है । यहाँ तक कि कई विभागों में राजभाषाकर्मियों के लिए ढ़ंग से कैडर पॉलिसी भी नहीं बनी है । यदि बनी भी है तो लागू नहीं हुई है । भारत सरकार के राजभाषा विभाग, कार्मिक विभाग, कैट और कई उच्च-न्यायालयों के स्पष्ट आदेश के बावजूद कोई प्रगति नहीं दृष्टिगोचर हो रही है । इसके कई कारणों में उच्चाधिकारियों की हिंदी के प्रति उदासीनता और पदानुक्रम में नीचे के लोगों में हिंदी के प्रति उत्साह की कमी प्रमुख है । यही कारण है कि इतने अधिक तकनीकी समाधानों के होते हुए भी कार्यालयों में हिंदी अनुवादकों की ज़रूरत होती है । जहाँ हिंदी अनुवादक हैं भी, वहाँ उनकी स्थिति ठीक नहीं है । अनुवादकों से राजभाषा के काम के अतिरिक्त अन्य सारे काम कराए जाते हैं । जबकि राजभाषा नियम 1976 में स्पष्ट प्रावधान है कि राजभाषा से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों से राजभाषा संबंधी काम ही कराए जाएँ । इतना ही नहीं, कई कार्यालयों में तो राजभाषाकर्मियों को नियमानुसार अलग केबिन क्या, बैठने की जगह भी ठीक से नहीं मिलती । हमारा समाज आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी अँग्रेज़ी के व्यामोह से बाहर नहीं निकल पाया है । अँग्रेज़ी बोलने में लोग गर्व महसूस करते हैं । सबसे बुरी हालत एयरपोर्टों और विमानन कंपनियों में है । वहाँ जब तक हिंदी में पूछा न जाए, कोई हिंदी में बोलने को तैयार ही नहीं होता । यदि कोशिश करके हिंदी बोलते भी हैं तो मुँह ऐसे बिचकाते हैं कि पूछनेवाला हीनभावना का शिकार हो जाता है ।

कार्यालयों की महत्वहीन परिस्थितियों के बावजूद जब भारत सरकार अपने किसी अखिल भारतीय कार्यक्रम में राजभाषाकर्मियों को बुलाती है, तो गर्वानुभूति होना स्वाभाविक है । यह सोचकर सुकून मिलता है कि चलो, किसी के मन में तो हमारे लिए भी थोड़ा महत्व है । हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर भाषा के अपने संस्कार होते हैं । अँग्रेज़ी भाषा के भी अपने संस्कार हैं, लेकिन वे अँग्रेज़ों और अँग्रेज़ियत के लिए उपयुक्त हैं, भारतीय लोगों के लिए नहीं । भारत के संस्कार तो सिर्फ और सिर्फ भारत की भाषाओं में ही मिल सकते हैं । एक और बात कि भारत में जन्म लेकर हम कुछ भी कर लें, अँग्रेज़ नहीं बन सकते । इसी तरह हम चाहे जितनी अँग्रेज़ी सीख लें, अँग्रेज़ नहीं बन सकते । इस चक्कर में "दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम" वाली कहावत ही चरितार्थ होगी । न हम भारतीय बन पाएँगे और न ही विदेशी । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भाषा भावनाओं के सम्प्रेषण का सिर्फ माध्यम होती है, स्वयं में ज्ञान नहीं होती । अँग्रेज़ी भी सिर्फ एक माध्यम ही है, ज्ञान नहीं । अतः हिंदी बोलने या लिखनेवालों में हीनभावना पनपने का कोई कारण नहीं है ।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की अवधारणा वर्तमान केन्द्रीय सरकार की बहुत बड़ी पहल है । विगत दस वर्षों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में गुणातीत सुधार हुआ है । विशेषकर जब वैश्विक मंचों पर हमारे प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं या बात करते हैं तो वह दृश्य देखकर हर भारतवासी गौरवान्वित होता है । चतुर्थ राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा विभाग के अंदर एक स्वतंत्र अनुभाग 'भारतीय भाषा अनुभाग' का शुभारंभ किया गया है । यह अनुभाग भारतीय भाषाओं के विकास और परस्पर मेल को बढ़ाने में महती भूमिका निभा सकता है ।

राजभाषा हिंदी में काम करना अत्यधिक आसान है । अब तो तकनीक ने इसे और भी अधिक आसान बना दिया है । बस, थोड़ी-सी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है । जिस दिन मौलिक काम हिंदी में होने लगेंगे, उस दिन हमारे देश की आजादी पूर्ण मानी जाएगी । अभी तक हम अधूरी आजादी में अपना काम कर रहे हैं । हिंदी में काम करके हम न केवल राष्ट्रीय अस्मिता में अपना योगदान देंगे, बल्कि स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस करेंगे । आइए हम सब मिलकर हिंदी में काम करने का संकल्प लें ।

"सच्चा राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रभाषा से उत्पन्न होता है।" - वाल्टर चेनिंग

झाँसी : ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल

सुश्री शिवानी
स.ले.प.अ.

सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी,
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नयी जवानी थी,
गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी,
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।

चमक उठी सन सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी॥

(हिंदी का ख्यातनाम कवयित्री स्व. सुभद्राकुमारी चौहान की इस विश्वप्रसिद्ध कविता को कहीं न कहीं हिंदी का हर पाठक पढ़ता ही है । आज हम आपको उन्हीं झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान से सजी झाँसी की पुण्यधरा का दर्शन कराने लिए चलते हैं । इस आलेख की लेखिका स्वयं झाँसी की रहनेवाली हैं । अतः इस आलेख में स्वाभिमान और सत्यता, दोनों ही जीवंत हो उठे हैं - **सम्पादक**)

झाँसी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता है । यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में झाँसी का किला, झाँसी की रानी का स्मारक, समाधि स्थल एवं झाँसी की अन्य ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं ।

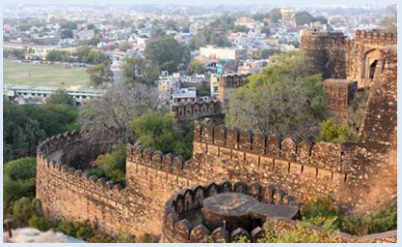

1. झाँसी किला - यह किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह शहर के उच्चतम बिंदु पर स्थित है । इस किले में जाने पर इसकी भव्यता और वास्तुकला सभी देखनेवालों को आकर्षित करती है । यहाँ से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है । किले की दीवारें और प्राचीरें इतिहास के अनगिनत किस्से सुनाती हैं । शाम के समय यहाँ से शहर का नयनाभिराम दृश्य देखते ही बनता है ।

2. रानी झाँसी का स्मारक - रानी झाँसी का स्मारक, झाँसी की शान और बहादुरी का प्रतीक है । यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित है जो उनके साहस और बलिदान का परिचय देती है । इस स्मारक पर अक्सर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है ।

3. समाधि-स्थल - झाँसी की रानी की समाधि भी एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ आप उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं । यह स्थान शांत और सुंदर है । यह स्थान झाँसी की रानी के जीवन और बलिदान को समर्पित है ।

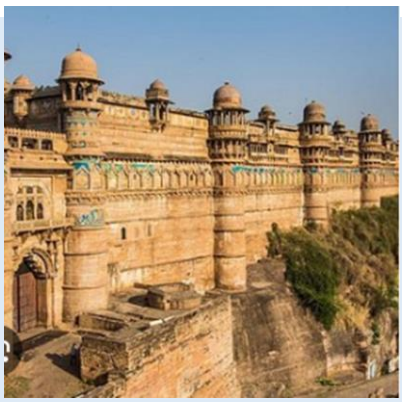

4. कर्ण महल - कर्ण महल एक सुंदर और ऐतिहासिक महल है जो किले पास स्थित है । यह बुंदेली शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है । इस किले की विशेष बात यह है कि इसे बिना किसी नींव के बनाया गया है और इसकी ऊँचाई लगभग सात मंजिल के बराबर है । महल के अंदर सुंदर चित्रकारी, झरोखे और बारीक नक्काशी देखने को मिलती है जो उस समय की कला और शिल्पकला का बेहतरीन नमूना पेश करती है ।

6. रानी महल - रानी महल रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान था । इस महल की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है । इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं । यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और समय के बारे में कई ऐतिहासिक वस्त्र और कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं ।

7. झाँसी संग्रहालय - इस संग्रहालय में बुंदेलखंड और झाँसी के इतिहास से संबंधित कई पुरातात्विक और ऐतिहासिक वस्त्र और कलाकृतियाँ संरक्षित हैं । यहाँ आपको रानी लक्ष्मीबाई और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई जानकारियाँ प्राप्त होंगी ।

झाँसी शहर का समृद्ध इतिहास और सुंदर वास्तुकला इसे एक आकर्षक पर्यटन-स्थल बनाते हैं । झाँसी की यात्रा न केवल इस ऐतिहासिक स्थलों का अनुभव करने का अवसर देती हैं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और विरासत को भी उजागर करती है । यहाँ आने पर आप इसके इतिहास को तो समझेंगे ही, साथ ही साथ स्थानीय जीवन और संस्कृति का भी अनुभव कर सकेंगे ।

झाँसी रेलमार्ग, सड़कमार्ग और वायुमार्ग द्वारा भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है । झाँसी का निकटतम हवाईअड्डा ग्वालियर (103 किलोमीटर) और खजुराहो (175 किलोमीटर) हैं । झाँसी मुंबई-दिल्ली रेलमार्ग पर एक बड़ा जंक्शन है। यह उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कुछ मुख्य ट्रेनें हैं: शताब्दी एक्सप्रेस, पंजाब मेल, दादर-अमृतसर एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस आदि । झाँसी सड़कों के अच्छे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है । यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 और 26 पर स्थित है जिसके कारण भारत के किसी भी हिस्से से झाँसी तक की सड़क-यात्रा की जा सकती है।

राष्ट्रकवि स्व. मैथिलीशरण गुप्त का एक प्रसिद्ध काव्यांश हैः-

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है
वह नर नहीं, नर पशु निरा है, और मृतक समान है

अपने देश और देश के गौरव पर गर्व करना, उसके बारे में जानना और उसको संरक्षित करना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है । अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर अपने बच्चों और परिवार के साथ झाँसी का दर्शन करना अपने-आप में एक बड़ा सुखद अनुभव होता है ।

"समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।" - (जस्टिस) कृष्णस्वामी अय्यर

राजभाषा अधिनियम 1963

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-
(1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3 जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के संबंध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना- (1) संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही, –

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए यह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी ; तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी:

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः

परंतु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि

के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा:

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा–

(i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;

(ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच; प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारीवृन्द हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागजपत्रों के लिए;

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएंगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसी सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।]

4. राजभाषा के संबंध में समिति- (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा ।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा:

परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे ।]

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद- (1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित-

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का, हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद- जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग- नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ- साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति - (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रममिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

9. [कतिपय उपबंधों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना]- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का.आ. 1123(अ), तारीख 18-3-2020] तथा लद्दाख पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का.आ. 3774(अ) तारीख 23-10-2020] द्वारा लोप किया गया।

"विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दासता है।"

- वाल्टर चेनिंग

राजभाषा नियम 1976

सा.का.नि. 1052 --राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--

इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-

केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;
'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;
'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;

'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।

राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-
केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--

क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगाः परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;

क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।
उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क'या'ख'में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;
क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग'में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;
क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि--
क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;
क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।
हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे ।
हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि-

कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना,जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -
कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा,जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-
मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या
स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या
यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

यदि किसी कर्मचारी ने-
मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीकाा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;या

केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से
उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा ।
मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-
केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।
अनुपालन का उत्तरदायित्व-

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--
यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है;और

इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।
केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।

आपके पत्र : आपकी प्रतिक्रियाएँ

आँचल पत्रिका के 20वें अंक की पाठकीय प्रतिक्रिया बहुत सारे कार्यालयों से आई हैं । इन सहृदय कार्यालयों के हम आभारी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया और अमूल्य सुझावों से पत्रिका की गुणवत्ता और पाठकीयता को समृद्ध करने में हमारी मदद की ।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	पत्र संख्या
1.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार -लेखापरीक्षा)II) पश्चिम बंगाल	हिंदी कक्ष/पत्रिका पावती/36 दिनांक 21.05.2024
2.	कार्यालय महालेखाकार लेखा व) (हकदारी, केरल, तिरुवनंतपुरम	हिंदी कक्ष/समीक्षा पत्रिका/2024-25/032060/015 दिनांक 09.05.2024
3.	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), पंजाब एवं यूटी., चंडीगढ़	हिंदी कक्ष/समीक्षा/10/2024-25/55 दिनांक 03.05.2024
4.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, रायपुर	हिन्दीकक्ष/पावती/2023-24/जा.317 दिनांक 01.05.2024
5.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखा व) (हकदारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला	हिं/पत्रिका समीक्षा/.ह.व.ले/.क.2024-25/34 दिनांक 29.04.2024
6.	क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, प्रयागराज	क्षे पत्रिका पावती/(.प्र).सं.ज्ञा.नि.क्ष.)132)/2024-25/43 दिनांक 29.04.2024
7.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार -लेखापरीक्षा)II), तमिलनाडु एवं पुदुचेरी	प्र-लेप).मले.II)/7-38/अभिस्वीकृति/2024-25/12 दिनांक 30.04.2024
8.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार -(लेखापरीक्षा)II, महाराष्ट्र, नागपुर	हिंदी अनुभाग/प्रतिक्रिया/22/2024-25/जा .क्र. दिनांक30.04.2024
9.	महालेखाकार का कार्यालय (.एवं ह .ले), बिहार, पटना	हिं/.व हक.ले/.अ.5/पत्रिका प्रतिभाव/24-25/15 दिनांक 08.05.2024
10.	महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (खान), पश्चिम बंगाल	डीजीए/पावती/पत्रिका.हिं/.रा।अ/(खान)2024-25/112 दिनांक 03.05.2024
11.	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), बेंगुलुरु	ई मेल दिनांक-02.05.2024
12.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा	हिंदी कक्ष/प्रतिक्रिया/पत्रिका/2024-25/54 दिनांक 29.04.2024

चित्र बोलते हैं

निवर्तमान महानिदेशक महोदय को पुष्पगुच्छ देकर कार्यालय की तरफ से शुभकामनाएँ देतीं निदेशक (प्रतिवेदन) महोदया

महानिदेशक महोदय द्वारा परंपरागत दीप-प्रज्वलन से 2024 की हिंदी प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

तिमाही हिंदी कार्यशाला का दृश्य

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केक काटकर उत्सव मनाती कार्यालय की महिला कर्मी

कार्यालय के मनोरंजन क्लब द्वारा आयोजित 'वार्षिक दिवस' समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेनेवाले प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते निदेशक (प्रशासन) महोदय

नियुक्तियाँ / पदोन्नतियाँ / स्थानांतरण / सेवानिवृत्ति
(01 अप्रैल 2024 से 31अगस्त 2024 तक)

नियुक्तियाँ

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दिनांक
1	सुश्री बिंदु वर्मा	स.ले.प.अ	06.05.2024
2	सुश्री मोनाली अशोक फड़तारे	उप निदेशक	26.08.2024
3	डॉ. संदीप रॉय	महानिदेशक	13.09.2024

स्थानांतरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दिनांक
1	श्री अभिनंदन अग्रवाल	स.ले.प.अ.	01.04.2024
2	श्री रॉबर्ट सिम्टे	लेखापरीक्षक	22.04.2024
3	सुश्री साक्षी शुक्ला	लेखापरीक्षक	19.04.2024
4	श्री यश अग्रवाल	लेखापरीक्षक	31.07.2024
5	श्री सुमेश नायर	स.ले.प.अ.	31.07.2024
6	श्री योगेश	लेखापरीक्षक	02.08.2024
7	श्री ज्योतिमय बाइलुंग	निदेशक (प्रशासन)	26.08.2024
8	श्री गुलजारी लाल	महानिदेशक	13.09.2024

"आँचल" परिवार नवनियुक्त और योगदान करनेवाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत करता है एवं आपके सफल एवं सुखद करियर की कामना करता है । **"आँचल"** परिवार स्थानांतरित हुए सभी कार्मिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता है ।

पहेलियों के उत्तर - 1. नमक .2 कमीज .3 आमिर खान .4दूध .5सड़क .6माचिस की तीली .7मिर्च .8पतंग .9चोटी .10ताश की डिब्बी

सामाजिक जागरूकता
पारदर्शिता
सक्षम वित्तीय प्रशासन
संसदीय पटल
ऑडिट दिवस
राज्य वित्त
SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest.

आँचल